मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर, 1999 (कार्तिक 28, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री-

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) -(क) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1997-98,

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99, तथा

(ग) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1999-2000, पटल पर रखेंगे.

(3) श्री लिखीराम कावरे, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3)-(1) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-9-97-आठ, दिनांक 2 जनवरी, 1999 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 28 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रमाकांत तिवारी, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, रीवा जिले में उद्वहन सिंचाई योजनाओं से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, सिहोरा क्षेत्र के फनवानी, कुम्ही सिहली मार्ग के डामरीकरण में भ्रष्टाचार होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, रामपाल सिंह, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, रायपुर जिले की भाटापारा कृषि उपज मंडी द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के मड़ियान जलाशय के अंतर्गत कृषकों से वसूल सिंचाई कर को कोषालय में जमा न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, राज्य शासन द्वारा बीज व कीटनाशकों पर कर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर संभाग सहित प्रदेश के राज्य परिवहन निगम में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन न मिलने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, कमल पटेल, सदस्य, मंदसौर उप जेल में क्षमता से अधिक कैदी बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, रायसेन जिले में स्थित सम्राट अशोक सागर जलाशय से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बृजराज सिंह चौहान, सदस्य, श्योपुर के ढोटी सब डिवीजन में सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत लक्ष्मणपुर टारबांध क्षतिग्रस्त होने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेन्द्र भारती (दतिया), नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम महडोर एवं ढौर में जहरीली शराब पीने से अनेक लोगों की मौत होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, सदस्य, पन्ना जिले में नहरों का रखरखाव न होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

-2-